

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2335

दिनांक : 22-07-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

The college was given conditional affiliation in the last academic year, however, the college did not implement even a single condition of the previous inspection committee.

Ms. Solly Abraham who was appointed (28/17) as Principal was absent on the day of inspection and on verification of documents, the Principal's signature on appointment letter and the that in attendance register do not match at all.

The signatures in Joining reports & attendance register of two of the lecturers appointed under 28/17 viz., Mr. Muneesh Kumar, Mr. Alok Baghel also do not match.

It is apparent that signatures in the attendance register are forged (Copies of relevant pages of attendance register and appointment letters enclosed).

As such only three teachers are appointed under 28/17.

Two of the members of the committee are regular visitors of the college as part of inspection committees and according to them, there has been no improvement in any of the fronts of the college during the preceding 2 yrs or so. The facts on forgery of signatures and insensitive attitude of college on previous committees reports form sound basis for not extending affiliation any more. The committee is of the view that a show-cause notice be given to the college in this regard and appropriate decision on renewal of affiliation be taken by the standing committee thereafter.

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, नागाजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेस, ग्वालियर।
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टेम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्